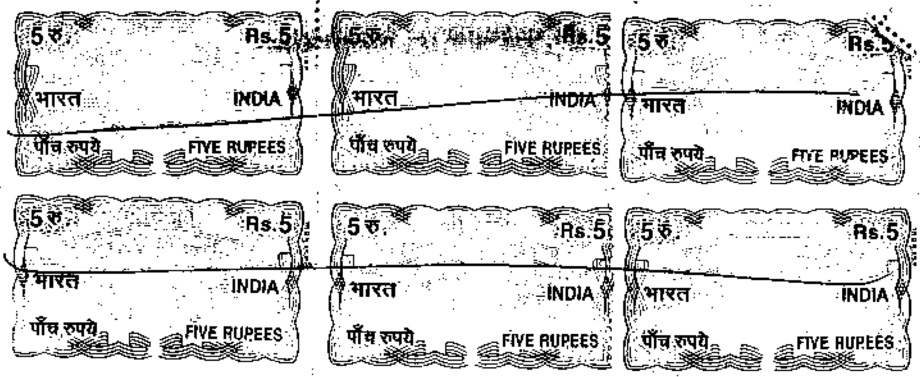

IN THE HONB'LE REVENUE BOARD AT GWALIOR

Appeal No. /2016 निग०-8008-पीबीआर/16

Appellant : Gwalior Alcobrew Pvt. Ltd *(formerly Gwalior Distillers Limited.)*, Rairu Farm, Agra Mumbai Road Gwalior 474010, through its General Manager Mr. P.V. Muralidharan S/o Late Shri V.V.S. Nambishan R/o Rairu Farm, Gwalior (M.P.)

दिनांक 22.3.16 को श्री आशीष शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत/
22.3.16

VERSUS

Respondent : Excise Commissioner, Motimahal, Gwalior

APPEAL U/S 62 (2) (C) OF MADHYA PRADESH EXCISE ACT, 1915 AGAINST ORDER DATED 14.07.2014 (ANNEXURE - A) PASSED BY LEARNED EXCISE COMMISSIONER WHEREBY THE PRESENT APPELLANT HAS BEEN DIRECTED TO PAY PENALTY OF RS. 54,250/- FOR NON KEEPING MINIMUM STOCK.

Most humbly and respectfully the appellant submit as under:-

1. The appellant is company registered under the Companies Act, 1956 and is legal entity in the eyes of law.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 8008–पीबीआर/16 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–4–2016	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र एवं ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय में यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा पारित आदेश्श दिनांक 14–7–2014 के विरूद्ध दिनांक 22–3–2016 को डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का कारण आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश की सूचना नहीं देना एवं दिनांक 23–11–2015 को सहायक आबकारी आयुक्त का पत्र प्राप्त होने पर, जिसमें आबकारी आयुक्त के आदेश का उल्लेख है, जानकारी होना दर्शाया गया है, जो कि विलम्ब का समाधान कारक नहीं है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	